पुस्तकालय

2359
18-12-02

असंशोधित

16 DEC 2002

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 1 –कार्यवाही–प्रश्नोत्तर)

बि० स० मु० (एन० ए०) 85--मोनो--500--13-3-2002--,

टर्न-7/राजेश/16.12.2002

तारांकित प्रश्न संख्या:-103 का पूरक

अध्यक्ष:- माननीय सदस्य श्री योगेन्द्र सिंह जी, आप सरकार की मंशा को देखिये । सरकार ने अपने उत्तर में स्पष्ट कहा है कि मामला विचाराधीन है, एस्टैबलिसमेंट कमिटी दिसम्बर में बैठेगी, यह मामला विचाराधीन है, उसमें होगा ।

श्री योगेन्द्र सिंह:- अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से स्पष्ट जानना चाहते हैं कि चार वर्ष का इनका कार्यकाल भी पूरा हो गया है, इस स्थिति में विचाराधीन का सवाल कहाँ उठता है, इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से सरकार से जानना चाहते हैं कि इसके लिए समय सीमा निर्धारित होगा ?

श्री दशई चौधरी:- अध्यक्ष महोदय, अगर विचाराधीन का मामला है तो इसतरह का सवाल ही विधान-सभा में क्यों आता है ?

श्री योगेन्द्र सिंह:- अध्यक्ष महोदय, 10 दिन पहले भी ट्रान्सफर पोस्टिंग हुआ है ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा(मंत्री):- अध्यक्ष महोदय, विचार करना भी एक आश्वासन ही है, आप माननीय सदस्य श्री योगेन्द्र सिंह जी को बता दीजिये ?

अध्यक्ष:- होगा, अब हो गया, बैठिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या:-104

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा(मंत्री):- खण्ड 1:- उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि करमचक थाने की पुलिस दिनांक 26.11.2002 को सवार गाँव में गुड्डू सिंह को गिरफ्तार कर थाना को ओर चले, इसी बीच 100-150 ग्रामीणों द्वारा इन्हें छुड़ाने के लिए नाजायज मजमा बनाकर हरवे हथियार से लैश होकर पुलिस बल को घेरते हुए उनके उपर पत्थर-रोड़ा आदि से प्रहार किये, जिससे अवर निरीक्षक ईश्वर चन्द्र शर्मा, स0अ0नि0अशोक राम, आरक्षी 426 रामचन्द्र यादव एवं चौकीदार 18/12 रतन पासवान जख्मी हो गये तथा जीप क्षतिग्रस्त हो गई । जब अनियंत्रित भीड़ ने हवलदार उपेन्द्र सिंह को जख्मी कर दिया तब उसने आत्मरक्षार्थ एवं सरकारी सम्पत्ति के सुरक्षार्थ एक चक्र अपने कार्बाइन से गोली चलायी जिससे केदार सिंह जख्मी हुये जिसे जख्मी होते देख उपरोक्त लोग पुलिस बल पर फायरिंग करते हुए भाग गये। जख्मी केदार सिंह को पुलिस इलाज हेतु तत्काल सदर अस्पताल भभुआ लायी जहाँ पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया ।

खण्ड 2:- उत्तर अस्वीकारात्मक है । ग्रामीणों द्वारा की गई रोड़ेबाजी में अ0नि0ईश्वर चन्द्र शर्मा, स0अ0नि0अशोक राम, हवलदार उपेन्द्र सिंह आरक्षी-426 रामचन्द्र यादव एवं चौकीदार 18/12 रतन पासवान जख्मी हुये है। तथा थाना की जीप क्षतिग्रस्त हुई है । जख्मी अ0नि0ईश्वर चन्द्र शर्मा फर्द बयान के आधार पर भगवानपुर(करमचक थाना) थाना कांड संख्या-151/02 दिनांक

टर्न-7/राजेश/16·12·2002

26·11·2002 धारा 147/148/149/341/323/324/353/337/427/307 भा0द0 वि0एवं 27 आर्म्स एक्ट के विरूद्ध राधा सिंह, कमलेश सिंह, केदार सिंह, शंकर सिंह, गौरी शंकर सिंह, कालिका सिंह, मनोष सिंह, गुड्डू सिंह, विजय उर्फ मुन्ना सिंह, जगदीश सिंह, परमा यादव, धमनी देवी, कमुर गुप्ता, रामनाथ सिंह एवं अन्य 100/150 अज्ञात के विरूद्ध अंकित किया गया है ।

खण्ड 3:- उत्तर अस्वीकारात्मक है । मृतक के बड़े भाई रामनाथ सिंह ने दिनांक 27·11·2002 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भभुआ के यहाँ परिवाद पत्र संख्या-1069/02 दायर किये हैं जिसमें अ0नि0ईश्वर चन्द्र शर्मा, चौकीदार रतन पासवान, हवलदार उपेन्द्र सिंह, सिपाही रामचन्द्र यादव एवं तीन अज्ञात सिपाही को अभियुक्त बनाये है । मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने उक्त परिवाद पत्र को जाँच एवं अपने पास रखते हुये इसको सुनवाई की तिथि दिनांक 6·1·2003 को रखे हैं । उपरोक्त उत्तर के आलोक में मृतक के परिवार को 5 लाख रुपये का अनुदान एवं सरकारी नौकरी देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री प्रमोद सिंह:- अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि जिस गुड्डू सिंह को पुलिस वहाँ पर पकड़ने के लिए गयी थी, क्या उस गुड्डू सिंह के खिलाफ कोई एफ0आई0आर0 था या उसके खिलाफ कोई वारंट हो था, बिना किसी एफ0आई0आर0 या वारंट में उनका नाम रहते पुलिस वहाँ पर गयी, ग्रामीणों द्वारा न तो पुलिस पर पत्थर ही चलाया गया है और न पुलिस जीप को ही तोड़-फोड़ किया गया है । पुलिस सीधे वहाँ पर पहुँचकर केदार सिंह को गोली मारी है ।

अध्यक्ष:- माननीय सदस्य श्री प्रमोद सिंह जी, आपने सुना कि मृतक के भाई ने 27·11·02 को सी0जी0एम0के यहाँ कंपलेन्ट फाइल किया है । सी0जी0एम0ने उनके पत्र को रखा है सुनवाई के लिए । चूंकि अब यह मैटर सब-जुडिस न हो गया है ।

टर्न-8/16.12.02/सच्चिदा ।

तारांकित प्रश्न संख्या – 104 का पूरक (क्रमशः)

श्री प्रमोद सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इसको अस्वीकार कर रहे हैं ।

अध्यक्ष: कोर्ट ने डेट रखा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य प्रमोद जी को बोलने दीजिये ।

श्री प्रमोद सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि सरकार ने गुड्डू सिंह को पकड़ने की जो बात कह रही है, तो क्या उनके विरूद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज था या वारन्ट था ?

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा (मंत्री): महोदय, चूंकि मामला सबजूडिस हो गया है ...।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद सिंह: महोदय, बिना वारन्ट के पुलिस क्यों पकड़ने गयी ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप यह बताइये कि जब गुड्डू सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस गयी थी तो क्या उनके विरूद्ध एफ0 आई0 आर0 या वारन्ट वगैरह था ?

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा (मंत्री): महोदय, इसमें यह है कि दिनांक 25.11.02 को अप्राथमिकी अभियुक्त सुदर्शन यादव उर्फ नाना यादव (22 वर्ष) पे0- नरेश यादव, सा0- सवार, थाना-सवार करमचट की गिरफ्तारी के दिये गये स्वीकारोक्ति बयान एवं अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के साक्ष्यानुसार दिनांक 26.11.02 को अवर निरीक्षक ईश्वर चन्द्र शर्मा, सहायक अवर निरीक्षक अशोक राम सशस्त्र बल एवं चौकीदार/ दफादार के साथ थाना के जीप न0 – बी0 आर0-1एम/ 4240 से करमचट थाना कांड सं0 145/02 दिनांक 13.11.02 धारा 302 /34 भा0 द0 वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अप्राथमिकी अभियुक्त गुड्डू सिंह पे0- जगदीश सिंह सा0 -सवार, सवार थाना करमचट को गिरफ्तार करने के लिए ग्राम सवार गये थे ।

अध्यक्ष: उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज थी ?

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा (मंत्री): महोदय, जो अभियुक्त पकड़ा गया और स्वीकारोक्ति बयान दिया, उसी आधार पर पुलिस गयी थी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रमोद जी आप पूरक पूछिये ।

श्री प्रमोद सिंह: एफ0 आई0 आर0 में नेम्ड एक भी अभियुक्त को नहीं पकड़ा गया है और जब कोई वारन्ट नहीं है और न सुपरवीजन नोट में नाम है तो किस आधार पर पुलिस गिरफ्तार करने गयी ?

अध्यक्ष: यदि मुख्य अभियुक्त कोई पकड़ा गया ही नहीं है, तो पुलिस इतनी कर्मठ हो गयी कि अप्राथमिकी अभियुक्त को बिना वारन्ट के पुलिस पकड़ने गयी तो इसको देखिये माननीय मंत्री ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा (मंत्री): महोदय, मैंने बताया कि करमचट थाना कांड सं0 148/02 दिनांक 18.11.02 धारा 302/34 भा0 दं0 वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अप्राथमिकी अभियुक्त गुड्डू सिंह पे0- जगदीश सिंह, सा0- सवार, सवार थाना के दिये गये साक्ष्यानुसार पुलिस गिरफ्तार करने गयी ।

अध्यक्ष: प्राथमिकी अभियुक्त गिरफ्तार हुआ या नहीं । जब प्राथमिकी अभियुक्त गिरफ्तार ही नहीं हुआ और अप्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गयी ? यह कैसे होगा ?

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा (मंत्री): महोदय, इसमें गुड्डु सिंह को गिरफ्तार करने की बात आयी है । यह सवाल आया है कि गुड्डु सिंह को पुलिस क्यों पकड़ने गयी । जिस क्रिमिनल को पकड़ा गया और उसने जो बयान दिया, उसी आधार पर गयी थी ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप अपने स्तर से सारी बातों को देखकर हमको अवगत करायें ।

(व्यवधान)

मंत्री जी, आप हमको अवगत कराइयेगा और इस मामला को हम खुद देखेंगे ।

श्री अशोक कुमार: जितने भी गिरफ्तार किया, उसको निलंबित किया जाय और विधान-सभा की कमिटी गठित की जाय ।

अध्यक्ष: यदि इसकी आवश्यकता होगी, तो वह भी करेंगे ।

टर्न-9/कृष्णा/16-12-02

तारांकित प्रश्नसंख्या-104 पर पूरक, क्रमशः

अध्यक्ष - यदि उसकी आवश्यकता होगी तो वह भी करूंगा। अभी नहीं ।

॥ व्यवधान ॥

श्री गणेश प्रयादव- अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए। मुकदमा हुआ और उसमें एक भी आदमी नहीं पकड़ा गया। फिर स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर जो जो नन-एफ0आई0आर0 के आदमी थे उसको पकड़ कर गोली मारने का क्या औचित्य है ? महोदय, पुलिस ने जान-बूझकर हत्या की है इसलिए पुलिस पर धारा 302भा0द0वि0 के अन्तर्गत मुकदमा होनी चाहिए और उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष - मैंने निर्देश दिया है। पहले मेरी बात सुन लीजिये । माननीय मंत्री आप स्वयं देख लीजिये और देखकर वस्तुस्थिति से हमें अवगत करायें और मैं आवश्यक समझूंगा तो सदन की विशेष समिति भी बनाऊंगा ।

श्री उपेन्द्र प्र0 वर्मा (मंत्री)- जी अच्छा ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 105

श्री रवीन्द्र चरण यादव (मंत्री)- अध्यक्ष महोदय, लखीसराय जिला के लिए महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र अलग से सृजित नहीं रहने के कारण वहां जिला उद्योग केन्द्र का कार्यालय नहीं है। मुंगेर जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक लखीसराय जिला के भी प्रभारी हैं । विभागीय आदेश संख्या 317 दिनांक 20-5-98 द्वारा लखीसराय में प्रत्येक सप्ताह शनिवार को कैम्प लगाकर विभागीय कार्यों का सम्पादन हेतु महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुंगेर को प्राधिकृत किया गया है। तत्काल लखीसराय जिला उद्योग केन्द्र का कार्यालय/वहां पर का कार्य हेतु कैम्प-कार्यालय की व्यवस्था की गयी है।